राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)

आर.टी,डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ 1008(38)/एबी–एमजीआरएसबीवाई/एम्पेनलमेंट/2021/350 दिनांकः 22.2.2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सम्बद्ध निजी अस्पताल,
समस्त जिलें, राजस्थान।

विषयः आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में सम्बद्ध निजी अस्पतालों की विशेषज्ञता में संशोधन के बाबत्।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (एबी–एमजीआरएसबीवाई) के नवीन चरण में निजी अस्पतालों को योजना में सम्बद्ध करने का समस्त कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में निम्न निर्देश जारी किये जाते है–

1. निजी अस्पतालो द्वारा योजना में सम्बद्ध होने हेतु अस्पताल में योजना की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध समस्त विशेषज्ञताओं के लिए आवेदन करना होता है तथा SEC द्वारा DEC की रिपोर्ट एवं उपलब्ध आरएमसी एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर पात्र सभी विशेषज्ञता हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

2. योजना में सम्बद्ध निजी अस्पताल द्वारा विशेषज्ञता, कार्यरत चिकित्सक, एनएबीएच योग्यता स्तर आदि में परिवर्तन हेतु राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा ऑनलाइन टिकट के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी, जिसमें निजी अस्पताल को SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create कर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अस्पताल के लेटर हैड पर विस्तृत जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज मय सील/साइन एवं दिनांक Ticket के साथ अपलोड करना होगा।

3. योजना में सम्बद्ध निजी अस्पताल द्वारा किसी भी विशेषज्ञता को जुडवाने/हटवाने अथवा पूर्व में अनुमत किसी भी विशेषज्ञता में चिकित्सक का नाम जुडवाने/हटवाने के लिए निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी–

3.1 योजना से सम्बद्ध कोई निजी अस्पताल यदि पूर्व में अनुमत किसी भी विशेषज्ञता में चिकित्सक का नाम जुडवाना/हटवाना चाहता है तो उसे Service Request Option द्वारा Ticket Create करना होगा। RSHAA को टिकट प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उस अस्पताल के चिकित्सक का नाम पोर्टल पर जोडने/हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.2 योजना से सम्बद्ध कोई निजी अस्पताल यदि कोई नयी विशेषज्ञता योजनार्न्तगत जुडवाना चाहता है तो उसे Service Request Option द्वारा Ticket Create करना होगा। यह टिकट SEC को प्राप्त होगा जिसे SEC द्वारा संबन्धित District Empanelment Committee (DEC) को अस्पताल के निरीक्षण के लिए भेजा जायेगा। DEC द्वारा उक्त विशेषज्ञता के लिए निरीक्षण कर अनुशंसा रिपोर्ट SEC को भेजनी होगी। तत्पश्चात संबन्धित अस्पताल को उक्त विशेषज्ञता में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय किया जायेगा।

3.3 योजना से सम्बद्ध कोई निजी अस्पताल यदि पूर्व में अनुमत किसी विशेषज्ञता को हटवाना चाहता है तो उसे SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create करना होगा एवं वह विशेषज्ञता हटवाने का पर्याप्त कारण देना होगा। यह टिकट SEC को प्राप्त होगा। SEC के निर्णय के उपरांत उस अस्पताल की विशेषज्ञता को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.4 योजना में सम्बद्धता उपरांत DEC अथवा RSHAA द्वारा यह पाया जाता है कि अस्पताल अन्य ऐसी विशेषज्ञता हेतु पात्रता रखता है, परन्तु सम्बद्धता हेतु आवेदन नही किया गया है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल को अवगत कराने के 7 दिवस के भीतर उस विशेषज्ञता को जुडवाने हेतु SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create करके आवेदन करना होगा।

उक्त अवधि में विशेषज्ञता को जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं करने पर अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

4. योजना में सम्बद्ध निजी अस्पतालों की एनएबीएच योग्यता स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर अस्पताल द्वारा SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create करके अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए RSHAA को अवगत करवाना अनिवार्य है जैसे–
   4.1 Non-NABH अस्पताल का अपग्रेड होकर Pre Entry Level/NABH Full Accreditation में परिवर्तन।
   4.2 Pre Entry Level NABH अस्पताल का अपग्रेड होकर NABH Full Accreditation में परिवर्तन।
   4.3 Pre Entry Level/NABH Full Accreditation अस्पताल के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने पर निर्धारित अवधि में इसका Renewal करवा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
   4.4 यदि संबंधित अस्पताल के उक्त प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो एवं Renewal नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल तुरंत SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create करके अवगत करवायेंगे तथा RSHAA द्वारा पात्रता अनुसार अस्पताल के एनएबीएच स्तर में परिवर्तन किया जायेगा। अस्पताल तद्नुसार ही लागू भुगतान श्रेणी के लिए पात्र होगा। यदि अस्पताल द्वारा उक्त संबंध में नियत अवधि में RSHAA को सूचित नहीं किया जाता है तो अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. समस्त सम्बद्ध सरकारी एवं निजी अस्पताल अपनी SSO ID के माध्यम से Service Request Option द्वारा Ticket Create करके अपनी एसएसओ आईडी, नोडल अधिकारी के नाम, मोबाईल नम्बर, ईमेल आईडी, पेन कार्ड एवं बैंक विवरण आदि में नियमानुसार परिवर्तन के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे।

22.2.21

(काना राम)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांक एफ 1008( )/एबी–एमजीआरएसबीवाई/एम्पेनलमेंट/2021/350 दिनांकः 22-2-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त जिले।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (समस्त संभाग)।
5. अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, समस्त।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल।
7. उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (नोडल अधिकारी, एबी–एमजीआरएसबीवाई), समस्त जिलें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम एवं अरबन हैल्थ प्लानिंग कन्सल्टेंट, समस्त जिलें।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी